

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व मुकदमा नम्बर :-25 /2014

दर्ज दिनांक 12.02.2014

जीसीएमएस नम्बर :-2014 /00004

अन्तर्गत धारा :-53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

- 1-डाली पत्नि सुवालाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1-मनोहरलाल पुत्र सुवालाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2-प्रेमदेवी पुत्री सुवालाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादिया

बनाम

- 1-सुवालाल पिता गुलाब खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1-मनोहरलाल पिता सुवालाल खटीक निवासी रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2-प्रेमदेवी पुत्री सुवालाल खटीक निवासी रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-बंशीलाल पितागुलाब खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-गोपीलाल पिता गुलाब खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-प्यारीदेवी पुत्री गुलाब खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 4/1-प्रकाश पिता हरिराम खटीक निवासी रायपुर हाल निवास अहमदाबाद, गुजरात
- 4/2-सीता पुत्री हरिराम खटीक निवासी रायपुर हाल निवास अहमदाबाद, गुजरात
- 5-दासुलाल पिता गुलाब खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5/1-मदनलाल पुत्र दासुलाल खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5/2-गोवर्धन लाल पिता दासुलाल खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5/3- चान्दी पत्नि दासुलाल खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5/4- नारायणलाल पिता दासुलाल खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5/5-पिस्ता पुत्री दासुलाल खटीक निवासी सोरती दरवाजा, गंगापुर तहसील सहाड़ा जि. भीलवाड़ा
- 5/6-कमलेश पुत्र दासुलाल खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
- 6-ओमप्रकाश पिता भवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-डिम्पल पिता भवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-शान्तिदेवी पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-सन्तोकी पुत्री अर्जुनलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 9/1-पिंकी पुत्री संतोकी पत्नि हीरालाल खटीक निवासी बागड़ तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
- 9/2-गोटी पुत्री संतोकी निवासी सियाणा तहसील आमेट जि. भीलवाड़ा
- 9/3-अनिल पुत्र नाथुलाल खटीक निवासी बागड़ तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
- 10-भगवती पुत्री अर्जुनलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-रायणी पुत्री अर्जुनलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा



सहायक कलक्टर
(रायपुर जिला) रायपुर

- 12-मूलीदेवी पुत्री लक्ष्मण खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13-मदनलाल पिता मांगीलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14-कंकु पत्नि गोपीलाल खटीकनिवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16-शम्भुलाल पिता लेहरूलाल बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपरिस्थिति:-

अधिवक्ता वादी :- जाकिर हुसैन रंगरेज

अधिवक्ता प्रतिवादी :- सुनील बापना

अधिवक्ता प्रतिवादी :- हरिश चन्द टेलर

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

:: निर्णय ::

दिनांक :- 17/11/2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 05.03.2020 के द्वारा वादीया का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 524 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 525 रकबा 0.61 है0, आराजी संख्या 526 रकबा 0.20 है0, कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.02 है0 भूमि में वादीया डाली बेवा सुवालाल प्रेमदेवी मनोहरलाल पिता सुवालाल खटीक का 1/9 हिस्सा, दासुलाल बंशीलाल गोपीलाल व मूलीदेवी पत्नि लक्ष्मण खटीक का प्रत्येक 1/9 हिस्सा ओमप्रकाश डिम्पल पिता भंवर खटीक शान्तिदेवी पत्नि भंवर खटीक का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा रहेगा इन आराजियात में बंशीलाल द्वारा कैलाशबलाई को विक्रय की गई 1/21 हिस्सा की भूमि बंशीलाल के हिस्से मे ही बंटवाड़ा कर देनी होगी ओर शेष 1/3 हिस्सा संतोकी नारायणी भगवती पुत्री अर्जुन खटीक का हिस्सा दासुलाल ने क्रय कर लिया जो उसके रहेगा। तथा आराजी संख्या 497 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 498 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 499 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 500 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 501 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 502 रकबा 0.01 है0,गे.मु.आचा, आराजी संख्या 503 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 504 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 987 रकबा 0.01 है0, कुल कित्ता 9 कुल रकबा 1.10 है0 भूमि में राजीनामा के अनुसार वादीया डाली बेवा सुवालाल प्रेमदेवी मनोहरलाल पिता सुवालाल खटीक का 1/9 हिस्सा तथा दासुलाल बंशीलाल गोपीलाल पिता गुलाब खटीक का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व मूलीदेवी पत्नि लक्ष्मण खटीक का 1/9 हिस्सा तथा ओमप्रकाश डिम्पल पिता भंवर खटीक शान्तिदेवी पत्नि भंवर खटीक




सहायक क्लर्क
(एन.डी.ओ.) रायपुर

का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा एवं संतोकी नारायणी भगवती पुत्री अर्जुन खटीक का जो दासुलाल ने कय किया 1/3 हिस्सा रहेगा। इसी प्रकार ग्राम रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 986 रकबा 0.13 है० भूमिमें वादीया डाली पत्नि सुवालाल मनोहर, प्रेमदेवी पत्नि सुवालाल का हिस्सा नहीं रहेगा। प्यारीदेवी पुत्री गुलाब खटीक द्वारा अपना हिस्सा भाईयो के पक्ष में छोड़ देने से हिस्सा लेने से इनकार कर दिया एवं बंशीलाल द्वारा अपना हिस्सा मदनलाल को विक्रय कर देने से उसका हिस्सा भी नहीं रहेगा ओर पहले का विभाजन यथावत रहेगा प्यारी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावें तथा इसी अनुसार स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/राजस्व/2020/185 दिनांक 29.05.2020 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. दौराने वाद मदनलाल मुतबन्ना लाडुलाल खटीक रायपुर द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा में उक्त प्रकरण की अपील प्रस्तुत की गई जिससे न्यायालय द्वारा पत्रावली तलब की गई जिसके प्रकरण संख्या 94/2020 का निर्णय दिनांक 23.04.2025 के अनुसार अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त की जाकर इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2020 को यथावत रखा, पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 10.06.2025 को प्राप्त हुई जिसे पुनः रेकार्ड पर दिनांक 19.06.2025 को लिया गया।
4. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित है।
5. वादी अधिवक्ता हरिश चन्द्र टेलर द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें अवगत कराया कि वादवर्णित आराजियात संख्या 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.08 है० भूमि में निहित प्रतिवादी बंशीलाल पिता गुलाब खटीक निवासी रायपुर का निहित हिस्सा 1/21 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2015 से शम्भुलाल पिता लेहरूलाल सालवी को विक्रय कर दिया गया है जिसका नामान्तरण संख्या 2520 दिनांक 14.08.2025 को प्रार्थी के नाम खुलवाया गया है। अतः प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।
6. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अध्ययन किया गया तो पाया कि बंशीलाल पिता दासु खटीक द्वारा वादवर्णित आराजियात संख्या 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.08 है० भूमि में निहित हिस्सा 1/21 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2015 से शम्भुलाल पिता लेहरूलाल सालवी को विक्रय कर दिया गया है एवं नामान्तरण शम्भुलाल के नाम पर खुल गया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थना पत्र पर





जयदेव चव्हाण
(एस.डी.ओ.) रायपुर

कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी। अतः प्रार्थी शम्भुलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के तहत स्वीकार कर पक्षकार संयोजित किया जाकर बंशीलाल के नाम का 1/21 हिस्से का विभाजन प्रार्थी के नाम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी समझौता दिनांक 05.30.2020 के अनुसार वाद में वर्णित आराजियात में आराजी संख्या 524 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 525 रकबा 0.61 है0, आराजी संख्या 526 रकबा 0.20 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 है0 भूमि में वादीया डाली बेवा सुवालाल प्रेमदेवी मनोहरलाल पिता सुवालाल खटीक का 1/9 हिस्सा, दासुलाल बंशीलाल गोपीलाल व मूलीदेवी पत्नि लक्ष्मण खटीक का प्रत्येक 1/9 हिस्सा ओमप्रकाश डिम्पल पिता भंवर खटीक शान्तिदेवी पत्नि भंवर खटीक का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा रहेगा इन आराजियात में बंशीलाल द्वारा कैलाशबलाई को विक्रय की गई 1/21 हिस्सा की भूमि बंशीलाल के हिस्से में ही बंटवाड़ा कर देनी होगी ओर शेष 1/3 हिस्सा संतोकी नारायणी भगवती पुत्री अर्जुन खटीक का हिस्सा दासुलाल ने क्रय कर लिया जो उसके रहेगा। तथा आराजी संख्या 497 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 498 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 499 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 500 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 501 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 502 रकबा 0.01 है0, गेमुआचा आराजी संख्या 503 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 504 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 987 रकबा 0.01 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.10 है0 भूमि में राजीनामा के अनुसार वादीया डाली बेवा सुवालाल प्रेमदेवी मनोहरलाल पिता सुवालाल खटीक का 1/9 हिस्सा तथा दासुलाल बंशीलाल गोपीलाल पिता गुलाब खटीक का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व मूलीदेवी पत्नि लक्ष्मण खटीक का 1/9 हिस्सा तथा ओमप्रकाश डिम्पल पिता भंवर खटीक शान्तिदेवी पत्नि भंवर खटीक का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा एवं संतोकी नारायणी भगवती पुत्री अर्जुन खटीक का जो दासुलाल ने क्रय किया 1/3 हिस्सा रहेगा। इसी प्रकार ग्राम रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 986 रकबा 0.13 है0 भूमि में वादीया डाली पत्नि सुवालाल मनोहर, प्रेमदेवी पत्नि सुवालाल का हिस्सा नहीं रहेगा। प्यारीदेवी पुत्री गुलाब खटीक द्वारा अपना हिस्सा भाईयो के पक्ष में छोड़ देने से हिस्सा लेने से इनकार कर दिया एवं बंशीलाल द्वारा अपना हिस्सा मदनलाल को विक्रय कर देने से उसका हिस्सा भी नहीं रहेगा ओर पहले का विभाजन यथावत रहेगा प्यारी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। ओर इसी अनुसार वाद स्वीकार करने का निवेदन करते हुए पत्रावली पर पक्षकारान मय अधिवक्ता द्वारा सहमति के हस्ताक्षर किये गये। उक्त समझौते के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर द्वारा तैयार किया गया जो इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा किया गया एवं सहमत हैं। ऐसी स्थिति में समझौते के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।





अधिवक्ता
(एस.डी.ओ.) रायपुर

8. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया।
9. वादपत्र में वादी व प्रतिवादीगण मे से वादी संख्या 1 की व प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 9, फोट हो गए है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 05.12.2019 को स्वीकार किया गया एवं वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 प्रस्तुत किया जो दिनांक 14.11.2025 को स्वीकार कर उनके वारीसो को रेकार्ड पर लिया गया।
10. वादीगण व प्रतिवादीगण के आपसी समझौते के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करी गई उसमें हिस्सा मृत पक्षकारों के नाम पर रखा गया है, जमाबन्दी में भी मृत पक्षकारों के वारीसों के पक्ष में नामान्तरण नहीं खुला है। अतः तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि मृत पक्षकारों कि विधिक वारीसान की जांच की जाकर नामान्तरण की कार्यवाही की जावे। अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	मनोहरलाल, प्रेमदेवी पिता सुवालाल, खटीक सा.देह	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	499/2	0.12
		योग	1	0.11
2	दासुलाल पिता गुलाब खटीक सा.देह रहन बी. ओ.वी.शाखा रायपुर, (मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान)	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	499/1 500/1 501/3	0.26 0.17 0.05
		योग	3	0.48
3	वंशीलाल पिता गुलाब खटीक सा.देह हिस्सा 7/12, शम्भुलाल पिता लेहरूलाल बलाई सा. मण्डोल हिस्सा 5/12	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	501/4 497 498 502/2	0.01 0.07 0.03 0.01
		योग	4	0.12
4	गोपीलाल पिता गुलाब खटीक सा.देह	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	501/1 503/2	0.01 0.11
		योग	2	0.12
5	ओमप्रकाश, डिम्पल पिता भंवरलाल, शान्तिदेवी पत्नि भंवरलाल खटीक सा.देह	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	501/2	0.12




राजस्थान सरकार
 (एस.डी.ओ.) रायपुर

		योग	1	0.12
6	मूलीदेवी पत्नि लक्ष्मणलाल खटीक सा.देह	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	503 / 1 504	0.10 0.02
		योग	2	0.12
7	शामलाती बदस्तुर	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 919)	502 987	0.01 0.01
		योग	2	0.02
8	दासुलाल (मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान), गोपीलाल पिता गुलाब 1/6, ओमप्रकाश, डिम्पल पिता भंवरलाल शान्तिदेवी पत्नि भंवरलाल 1/30, कंकु पत्नि गोपीलाल 7/90, संतोकी, भगवती, नाराणी पुत्रीया अर्जुन 1/3, मदनलाल पिता मांगीलाल 1/5, मूलीदेवी पत्नि लक्ष्मण 1/30 खटीक सभी खातेदार उपरोक्तानुसार शामलाती 7/45 सा. देह	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 917)	986	0.13
		योग	1	0.13

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामों के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 के नियम 3 के उपनियम 3क के अनुसार डिक्री अपास्त करने के लिए ऐसा कोई वाद पुनः इस आराजियात बाबत प्रस्तुत नहीं किया जायेगा कि समझौता हुआ है जिस पर डिक्री आधारित है, उक्त समझौता विधिपूर्ण नहीं था। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शों के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



(करुणा लाडोती)

सहायक कमिश्नर
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(ए.डी.ओ. रायपुर)

निर्णय आज दिनांक 17/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कमिश्नर
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(ए.डी.ओ. रायपुर)

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व मुकदमा नम्बर :-25/2014

दर्ज दिनांक 12.02.2014

जीसीएमएस नम्बर :-2014/00004

अन्तर्गत धारा :-53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान


- 1-डाली पत्नि सुवालाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1-मनोहरलाल पुत्र सुवालाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2-प्रेमदेवी पुत्री सुवालाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

- 1-सुवालाल पिता गुलाब खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1-मनोहरलाल पिता सुवालाल खटीक निवासी रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2-प्रेमदेवी पुत्री सुवालाल खटीक निवासी रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-बंशीलाल पितागुलाब खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-गोपीलाल पिता गुलाब खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-प्यारीदेवी पुत्री गुलाब खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 4/1-प्रकाश पिता हरिराम खटीक निवासी रायपुर हाल निवास अहमदाबाद, गुजरात
- 4/2-सीता पुत्री हरिराम खटीक निवासी रायपुर हाल निवास अहमदाबाद, गुजरात
- 5-दासुलाल पिता गुलाब खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5/1-मदनलाल पुत्र दासुलाल खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5/2-गोवर्धन लाल पिता दासुलाल खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5/3- चान्दी पत्नि दासुलाल खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5/4- नारायणलाल पिता दासुलाल खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5/5-पिस्ता पुत्री दासुलाल खटीक निवासी सोरती दरवाजा, गंगापुर तहसील सहाड़ा जि. भीलवाड़ा
- 5/6-कमलेश पुत्र दासुलाल खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
- 6-ओमप्रकाश पिता भवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-डिम्पल पिता भवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-शान्तिदेवी पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-सन्तोकी पुत्री अर्जुनलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 9/1-पिंकी पुत्री संतोकी पत्नि हीरालाल खटीक निवासी बागड़ तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
- 9/2-गोटी पुत्री संतोकी निवासी सियाणा तहसील आगेट जि. भीलवाड़ा
- 9/3-अनिल पुत्र नाथुलाल खटीक निवासी बागड़ तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
- 10-भगवती पुत्री अर्जुनलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

- 11-नारायणी पुत्री अर्जुनलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 12-मूलीदेवी पुत्री लक्ष्मण खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 13-मदनलाल पिता मांगीलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 14-कंकु पत्नि गोपीलाल खटीकनिवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 15-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 16-शम्भुलाल पिता लेहरूलाल बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

अधिवक्ता वादी :- जाकिर हुसैन रंगरेज

अधिवक्ता प्रतिवादी :- सुनील बापना

अधिवक्ता प्रतिवादी :- हरिश चन्द टेलर

निर्णय दिनांक :

डिक्री दिनांक :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री जाकिर हुसैन रंगरेज, अधिवक्ता प्रतिवादी हरिशचन्द टेलर, अधिवक्ता प्रतिवादी सुनील बापना व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 23 के नियम 3 के उपनियम 3क के अनुसार डिक्री अपास्त करने के लिए ऐसा कोई वाद पुनः इस आराजियात बाबत् प्रस्तुत नही किया जायेगा कि समझौता हुआ है जिस पर डिक्री आधारित है, उक्त समझौता विधिपूर्ण नही था। प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	मनोहरलाल, प्रेमदेवी पिता सुवालाल खटीक सा. देह	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	499/2	0.12
		योग	1	0.11
2	दासुलाल पिता गुलाब खटीक सा.देह रहन बी. ओ.बी.शाखा रायपुर, (मृतक के वजाय उनके विधिक वारीसान)	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	499/1 500/1 501/3	0.26 0.17 0.05
		योग	3	0.48
3	वंशीलाल पिता गुलाब खटीक सा.देह हिस्सा 7/12, शम्भुलाल पिता लेहरूलाल बलाई सा. मण्डोल हिस्सा 5/12	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	501/4 497 498 502/2	0.01 0.07 0.03 0.01
		योग	4	0.12
4	गोपीलाल पिता गुलाब खटीक सा.देह	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	501/1 503/2	0.01 0.11
		योग	2	0.12




★
 डायरेक्टर
 (एन.डी.ओ.) रायपुर

5	ओमप्रकाश, डिम्पल पिता भंवरलाल, शान्तिदेवी पत्नि भंवरलाल खटीक सा.देह	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	501/2	0.12
		योग	1	0.12
6	मूलीदेवी पत्नि लक्ष्मणलाल खटीक सा.देह	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 918)	503/1 504	0.10 0.02
		योग	2	0.12
7	शामलाती बदस्तुर	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 919)	502 987	0.01 0.01
		योग	2	0.02
8	दासुलाल (मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान), गोपीलाल पिता गुलाब 1/6, ओमप्रकाश, डिम्पल पिता भंवरलाल शान्तिदेवी पत्नि भंवरलाल 1/30, कंकु पत्नि गोपीलाल 7/90, संतोकी, भगवती, नाराणी पुत्रीया अर्जुन 1/3, मदनलाल पिता मांगीलाल 1/5, मूलीदेवी पत्नि लक्ष्मण 1/30 खटीक सभी खातेदार उपरोक्तानुसार शामलाती 7/45 सात्रदेह	ग्राम रायपुर (खाता संख्या 917)	986	0.13
		योग	1	0.13


नीजNil.....मुबलिंग Nil वाबत् Nil
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूलयावी तक Nil का अदा करे।

बशब्द सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के दस्तखत व मुहर अदालत
 के आज तारीख 17/11/2025 को जारी किया गया।


 (करुणा लाडोती)
 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड (सहायकी) रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
वाबत् इजराय हुकमनामा	—		वाबत् इजराय हुकमनामा	—	
मुनफरिफ	—		मुनफरिफ	—	
मीजान			मीजान		




 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड (सहायकी) रायपुर (भीलवाड़ा)
 (ए.पी.ओ.) रायपुर